



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: aff@shekhauni.ac.in

क्रमांक: ५१२५५

दिनांक: 17/07/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत दिनांक 10.07.2026 को आयोजित निरीक्षण मण्डल (BOI) की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में पूर्ववर्ती सत्रों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म में विषय चयन संबंधी विसंगतियों के समाधान एवं शैक्षणिक सुविधा हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं:-

- विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य केवल उपाधि प्रदान करना नहीं, बल्कि शैक्षणिक अखंडता (Academic Integrity) और अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। विषय चयन में विसंगति, शिक्षण-अधिगम प्रणाली में एक गंभीर त्रुटि है, जो विद्यार्थी के अध्ययन के मूल ढांचे को प्रभावित करती है। अतः सुधारात्मक उपाय अपनाते हुए भविष्य में 'सॉफ्टवेयर-आधारित मैपिंग' का उपयोग करना अनिवार्य है, ताकि विद्यार्थी के अधिगम के मार्ग में कोई तकनीकी या प्रशासनिक अवरोध न रहे।
- महाविद्यालयों को नोटिस:** सभी संबंधित महाविद्यालयों से उनकी प्रशासनिक चूक हेतु लिखित स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से मांगा जाए।
- शुल्क नीति:** विद्यार्थियों से विशेष परीक्षा हेतु शुल्क का 5 गुना लिया जाए, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय का प्रबंधन करना है।
- तकनीकी सुरक्षा:** पोर्टल को सुदृढ़ बनाने हेतु इसे 'सब्जेक्ट मैपिंग' से जोड़ा जाए, ताकि तकनीकी रूप से विषय चयन त्रुटि-मुक्त हो।
- अंतिम चेतावनी (Policy Amnesty):** यह व्यवस्था केवल 'एकमुश्त अवसर' (Onetime Amnesty) के रूप में दी जा रही है। भविष्य में ऐसी चूक पाए जाने पर परीक्षा फॉर्म बिना किसी सुनवाई के सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे।

क्रमांक:- ५१२५६-२६०

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, कुलगुरु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- लेखा एवं वित्त शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- सम्बद्धता शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- उपनिदेशक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को लेख है कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

दिनांक: 17/07/2026

कुलसचिव